



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275073
CG-DL-E-01082026-275073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4042]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/ श्रावण 7, 1948

No. 4042]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/ SHRAVAN 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

का.आ. 4212(अ).— नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (48 of 1956) (जिसे आगे उक्त एक्ट कहा जाएगा) के सेक्शन 3A के सब-सेक्शन (1) द्वारा दी गई शक्तियोंका इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार, यह मानने के बादकी पब्लिक मकसद के लिए, जमीन, जिसका छोटा ब्यौरा नीचे शेड्यूल में दिया गया है, गुजरात राज्य के भरूच जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-64 पर धाधर नदी के प्रमुख पुल का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य, चैनेज 180/000 से 180/400 तक, ऐसी जमीन अधिग्रहित का अपना इरादा बताता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस नोटिफिकेशन के ऑफिसियल गेजेट में पब्लिकेशन की तारीख के इक्कीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 3C की उप-धारा(1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति कर सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारीको लिखित रूप में की जाएगी और उसमें उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्ति करने वाले को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा, और

ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और यदि कोई और जांच आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-64 पर धाधर नदी के प्रमुख पुल का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य, चैनेज 180/000 से 180/400 तक अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: भरुच		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जम्बूसर					
गांव का नाम: मगनाद					
1	532	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
2	533	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर ()	0.1119 (हेक्टेयर)	0.1119
3	NA 529	निजी	नॉन एग्रीकल्चर ()	0.6782 (हेक्टेयर)	0.6782
तालुक का नाम: अमोद					
गांव का नाम: रानीपुरा					
4	117	सरकारी	(गौचर)	0.1708 (हेक्टेयर)	0.1708
5	118 (Old Survey Number 131/2)	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.208 (हेक्टेयर)	0.208
Total					1.2029

[फा. सं. NH-64/GJ/2025-26/832/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2026

S.O. 4212(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building maintenance management and operation of Reconstruction & Repair of major bridge at dhadhar river ch. 180/000 to 180/400 of NH-64 in Bharuch District in Gujarat State hereby declares its intention to acquire such land.

Any Person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH64 in the stretch of land from Km. 180/000 to Km. 180.400 in the district of BHARUCH in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: BHARUCH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jambusar					
Village: Magnad					
1	532	Private	Agriculture ()	0.034 (Hectare)	0.034
2	533	Government	Non Agriculture ()	0.1119 (Hectare)	0.1119
3	NA 529	Private	Non Agriculture ()	0.6782 (Hectare)	0.6782
Taluk: Amod					
Village: Ranipura					
4	117	Government	(Gauchar)	0.1708 (Hectare)	0.1708
5	118 (Old Survey Number 131/2)	Private	Agriculture ()	0.208 (Hectare)	0.208
Total					1.2029

[F. No. NH-64/GJ/2025-26/832/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director